समक्ष एस एस सारों ***और नविता सिंह,*** *माननीय न्यायमूर्ति*

सुरेंद्र-याचिकाकर्ता

बनाम

विजय सिंह और अन्य-प्रतिवादी

2013 की एफएओ संख्या 5265

10 मार्च 2014

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 -ध. 7(1) स्पष्टीकरण (जी) - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -आदेश. 21 - निष्पादन कार्यवाही - बच्चों की अभिरक्षा - अपीलकर्ता-पिता ने अपने नाबालिग बच्चों की हिरासत के लिए याचिका दायर की - पारिवारिक न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला किया - प्रतिवादियों ने अभिरक्षा नही दी - अपीलकर्ता ने निष्पादन याचिका दायर की - निष्पादन न्यायालय ने अपीलकर्ता को बच्चों की अभिरक्षा सौंपने से इनकार कर दिया - मुलाक़ात के अधिकार दिए अभिनिर्धारित किया गया कि निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री के बाहर जाने और यह तय करने की कोई अधिकार नहींथा कि बच्चों की अभिरक्षा अपीलकर्ता को दी जानी चाहिए या नहीं - निष्पादन न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे और अवैध तरीके से काम किया - विवादित आदेश रद्द कर दिया गया - मुकदमे को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री के बाहर जाने और यह तय करने का कोई क्षेत्रा-अधिकार नहीं था कि बच्चों की अभिरक्षा अपीलकर्ता के पास होनी चाहिए या नही । चूँकि सक्षम न्यायालय द्वारा पहले ही आदेश पारित किया जा चुका था कि अभिरक्षा अपीलकर्ता को दी जाए, निष्पादन न्यायालय का कार्य केवल आदेश को निष्पादित करना और नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा उनके पिता यानी वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपना था। इसलिए, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी को अभिरक्षा वापस सौंपने और अपीलकर्ता के पक्ष में पहले ही पारित किए गए आदेश को क्रियान्वित न करने में अपने क्षेत्राधिकार से परे और अवैध तरीके से काम किया। नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा अपीलकर्ता को सौंपी जानी थी और निष्पादन न्यायालय को खुद को यहीं तक सीमित रखना था और अपीलकर्ता को नाबालिगों की अभिरक्षा देने से इनकार करने और बच्चों से मुलाकात वाला अधिकार देने में सक्षम नहीं था। **(पैरा 9)**

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सूर्यकांत गौतम।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील सुमित गुप्ता।

वर्तमान अपील नाबालिग सुक्षम और सिमरती के पिता द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने पहले उक्त नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए एक याचिका दायर की थी और 29.05.2013 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। जिला न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सोनीपत द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने नाबालिग बच्चों की हिरासत नहीं सौंपी और अपीलकर्ता को निष्पादन याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। निष्पादन कार्यवाही में, उत्तरदाताओं ने बच्चों को

अदालत में पेश किया जिन्होंने कहा कि वे उत्तरदाताओं के साथ रहना जारी रखना चाहते हैं और इस तरह, निष्पादन न्यायालय ने बच्चों की हिरासत अपीलकर्ता को सौंपने से इनकार कर दिया। उन्हें केवल मुलाक़ात का अधिकार दिया गया था। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी बच्चों की अभिरक्षा पिता यानी वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपने के लिए अदालत में आए थे।

(2) वर्तमान अपील निष्पादन न्यायालय द्वारा 04.10.2013 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

(3) यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि शुरू में अपीलकर्ता ने इस आधार पर नाबालिगों की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर की थी कि उसकी पत्नी 15.03.2008 को बच्चों को लेकर वैवाहिक घर छोड़ गई थी और बाद में पत्नी किरण रानी की हत्या कर दी गयी थी। उत्तरदाताओं ने आश्वासन दिया था कि वे बच्चों को अपीलकर्ता को सौंप देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

(4) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने सारा दोष अपीलकर्ता पर मढ़ दिया और उस पर अपनी बेटी किरण रानी की हत्या का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया था। साक्ष्य लेने और पक्षों को सुनने के बाद, याचिका को स्वीकार कर लिया गया और नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा अपीलकर्ता को पिता और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में सौंपने का आदेश दिया गया।

(5) चूँकि उत्तरदाताओं ने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा सौंपने के संबंध में दिनांक 29.05.2013 के आदेश का पालन नहीं किया, अपीलकर्ता ने एक निष्पादन याचिका दायर की। उस याचिका में, बच्चों को प्रतिवादियों द्वारा अदालत में पेश किया गया था और दोनों उत्तरदाताओं के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वे बच्चों को अपीलकर्ता को सौंपने के लिए अदालत में लाए थे। हालाँकि, अदालत ने दोनों बच्चों, सुक्षम और सिमरती का संयुक्त बयान दर्ज किया, जिन्होंने कहा कि वे अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते थे और अपने नाना-नानी के साथ रहना चाहते थे। यह मानते हुए कि बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है, कार्यकारी न्यायालय ने कहा कि बच्चों की इच्छा के विरुद्ध अभिरक्षा डिक्री-धारक यानी अब अपीलकर्ता को नहीं सौंपी जा सकती। बच्चों को उत्तरदाताओं के साथ वापस

भेज दिया गया और पिता को मुलाकात का अधिकार दिया गया। निष्पादन याचिका खारिज कर दी गई।

(6) अपीलकर्ता, जो बच्चों का पिता है और जिसके पक्ष में मूल आदेश पारित किया गया था, निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस आधार पर अपील में आया कि न्यायालय बच्चों की अभिरक्षा सौंपने से इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए वो आदेश अवैध है।

(7) अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के बाहर नहीं जा सकता और 29.05.2013 को पारित जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के आदेश को अमान्य कर दिया जाए, जिसके तहत बच्चों की अभिरक्षा पिता के पास सौंपने का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी, दिनांक 29.05.2013 का आदेश अंतिम रूप ले चुका था और इसलिए, निष्पादन न्यायालय का सीमित कार्य इसे लागू करना था। । निष्पादन न्यायालय उस न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता था जिसके समक्ष बच्चों की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर की गई थी । निष्पादन न्यायालय पहले न्यायालय जैसे न तो अभिरक्षा की अनुमति दे सकता है न इसे अस्वीकार कर सकता है।

(8) प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 2 की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई) के विद्वान वकील ने इसके विपरीत तर्क दिया कि हर चरण में बच्चों का कल्याण न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसीलिए

निष्पादन न्यायालय का विचार था कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वे समझ सकें कि वे कहाँ रहना चाहते हैं और कहाँ खुश रहेंगे, न्यायालय ने उनकी अभिरक्षा प्रतिवादियों को वापस सौंप कर उचित किया।

(9) हमने इस मामले पर गहन विचार किया है। हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों से सहमत हैं कि निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री के बाहर जाने और यह तय करने का कोई क्षेत्रा-अधिकार नहीं था कि बच्चों की अभिरक्षा अपीलकर्ता को दी जानी चाहिए या नहीं। चूँकि सक्षम न्यायालय द्वारा पहले ही आदेश पारित किया जा चुका था कि अभिरक्षा अपीलकर्ता को दी जानी थी, निष्पादन न्यायालय का कार्य केवल आदेश को निष्पादित करना और नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा उनके पिता यानी वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपना था। इसलिए, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी को अभिरक्षा वापस सौंपने और अपीलकर्ता के पक्ष में पहले से ही पारित किए गए आदेश को क्रियान्वित न करने में क्षेत्राधिकार से परे और अवैध तरीके से काम किया। सुक्षम और सिमरती जैसे नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा अपीलकर्ता को सौंपी जानी थी और निष्पादन न्यायालय को खुद को वहीं तक सीमित रखना था और अपीलकर्ता को नाबालिगों की मुलाकात से इनकार करने और उसे मुलाकात का अधिकार देने में सक्षम नहीं था।

(10) इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान जिला न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2013 को

रद्द कर दिया जाता है। मामले को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया है कि निष्पादन न्यायालय कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

जे.एस मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा